

राजस्थान -सरकार

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सीकर उत्तर, जिला सीकर

क्रमांक :- 575

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
सीकर


दिनांक:- 08-12-2020

विषय:- सम्पर्क पोर्टल शिकायत संख्या 12200279046784 की जांच के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या 12200279046784 में परिवादित एरिया वार्ड नं. 01, सीकर की जांच के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.11.2020 को प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका संस्करण में प्रकाशित शिर्षक गुजरात तक फैला शराब का अवैध धंधा का अध्ययन कर मेरे सर्किल क्षेत्र में निरंतर रेड ग्लस्त एवं नाकाबन्दी की गई। जैसे ही कोई इस तरह का तस्करी करने वाला वाहन पकड़ में आएगा उस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने पर शिकायतकर्ता का फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर पाया गया। जांच रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,


आबकारी निरीक्षक
आबकारी निरीक्षक
वृत्त सीकर उत्तर
वृत्त-सीकर (उत्तर)